

न्यायालय मुन्सिफ
अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, सोनपुर, सारण।
उपस्थित—नजीम अहमद, मुन्सिफ, सोनपुर, सारण।
स्वत्व वाद संख्या : 09/2023

बलिराम राय एवं अन्य.....वादीगण।
बनाम
अनिल राय एवं अन्य.....प्रतिवादीगण।

आदेश

02.06.2026. वादी पक्ष की ओर से कोई हाजरी/पैरवी नहीं है। बार—बार वाद पुकारा गया, परंतु बार—बार वाद पुकारे जाने पर भी वाद संचालन हेतु वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु निबंधित नोटिस की कार्यवाही हेतु लंबित है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद में अंतिम बार दिनांक—15.04.2024 को हाजरी दी गई थी तब से वादी पक्ष लगातार अनुपस्थित हैं तथा उनकी ओर से वाद में कोई हाजरी/पैरवी नहीं दिया जा रहा है। वादी पक्ष को वाद में उचित पैरवी करने हेतु कई निर्देश एवं अवसर दिए जाने के पश्चात् भी आज दिनांक—02.06.2026 को भी वादी पक्ष पूर्व की भाँति अनुपस्थित हैं एवं उनकी ओर से कोई हाजरी/पैरवी नहीं है तथा बार—बार वाद पुकारे जाने पर भी न तो वादीगण में से कोई एक स्वयं और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता वाद के संचालन हेतु न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी पक्ष के उक्त व्यवहार से प्रतीत होता है कि वादी पक्ष को इस वाद में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। अतः न्यायालय में उपस्थित होकर वाद की उचित पैरवी न करने एवं न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करने के कारण इस वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

मुन्सिफ, सोनपुर।